श्री विजय कुमार सिन्हा, माननीय उपमुख्यमंत्री–सह–मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–12.12.2025 को 3M Stand Road, Patna में सम्पन्न भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम के बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– यथा पंजी के अनुसार ।

बैठक के प्रारंभ में प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा माननीय उपमुख्यमंत्री–सह–मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात् निम्नांकित रूप से एजेंडावार विभागीय कार्यों की गहन समीक्षा की गयी।

1. **Mutation Defect Check** – माननीय मंत्री के द्वारा समीक्षा के क्रम में बताया गया दाखिल–खारिज हेतु प्राप्त आवेदनों के Temp No वाले आवेदनों की जाँच संबंधित राजस्व कर्मचारी के द्वारा एक सप्ताह के भीतर करते हुए Temp No. वाले आवेदनों को Case No. Generate करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन : वरीय प्रभारी प्रशाखा–09)

2. **दाखिल–खारिज** :– माननीय मंत्री के द्वारा समीक्षा के क्रम में सभी अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया कि बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 के विहित प्रावधानों के अनुसार बिना आपत्ति वाले आवेदन का निष्पादन 35 दिनों के भीतर और आपत्ति प्राप्त आवेदनों में 75 दिनों के अन्दर विधिसम्मत सुनवाई करते हुए नामांतरण हेतु प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय। साथ ही नामांतरण हेतु 120 दिनों से अधिक लंबित वादों के लिए क्रमशः अंचलाधिकारी– 1. संपतचक– लंबित–469, 2. बिहटा– लंबित–182 एवं 3. दीदारगंज – लंबित–168 के क्रियाकलाप पर असंतोष व्यक्त किया और और संबंधित अंचलाधिकारी से इस हेतु स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन : वरीय प्रभारी प्रशाखा–09 एवं 15)

3. **परिमार्जन प्लस** :– माननीय मंत्री के द्वारा निदेशित किया गया कि परिमार्जन प्लस पर प्राप्त आवेदनो का निष्पादन समयावधि निर्धारित नही होने के कारण अंचलाधिकारियों के स्तर से काफी विलंब किया जाता है। परिमार्जन प्लस पर प्राप्त आवेदनों के निष्पादन हेतु विभाग स्तर से परिमार्जन प्लस पर प्राप्त आवेदनों की प्रकृति को देखते हुए निष्पादन का समय का निर्धारण किया जाय। साथ ही डिजिटाईज्ड जमाबंदी में आवश्यक सुधार हेतु परिमार्जन प्लस पर प्राप्त आवेदनों में 120 दिनों से ज्यादा अनावश्यक रूप से लंबित आवेदनों के लिए क्रमशः अंचलाधिकारी 1. संपतचक– लंबित–568, 2. बिहटा– लंबित–529 एवं 3. दीदारगंज – लंबित–401 से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश प्राप्त हुआ।

(अनुपालन : वरीय प्रभारी प्रशाखा–09 एवं 15)

4. **ई–मापी** :– माननीय मंत्री के द्वारा बताया किया गया कि भूमि विवाद से संबंधित अंधिकांश मामलों में मापी प्रतिवेदन एक आवश्यक कड़ी होती है। अगर रैयतों से प्राप्त मापी हेतु आवेदनों का निष्पादन निश्चित समय–सीमा में हो जाए तो भूमि–विवाद के मामलों में कमी आयेगी। उक्त के क्रम में निदेशित किया गया कि राज्यों में अमीनों के स्वीकृत पद एवं वर्तमान में कार्यरत बल से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध करायी जाय एवं रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति के लिए उठाये गये कदमों के बारे में भी जानकारी उपलब्ध करायी जाय।

2. मापी की समीक्षा के क्रम में माननीय मंत्री द्वारा फुलवारीशरीफ के अंचलाधिकारी द्वारा कुल–1186 मापी किये जाने के बिंदु पर हर्ष व्यक्त किया गया। उल्लेखनीय है कि मापी से राजस्व में भी वृद्धि होती है। उक्त के क्रम में अन्य अंचलाधिकारियों को भी प्राथमिकता के आधार पर मापी हेतु प्राप्त आवेदनों को निष्पादित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– वरीय प्रभारी प्रशाखा–04 एवं 07)

5. **Public Grievance** :– माननीय मंत्री के द्वारा निदेशित किया गया कि आमजनमानस से प्राप्त शिकायतों का त्वरित निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर किया जाय। इससे विभाग की छवि बेहतर होगी। वैसे

अंचलाधिकारी को चिन्हित करने का निदेश दिया गया जिनके स्तर पर शिकायत ज्यादा लंबित हो। साथ ही दिनांक–12.12.2025 को माननीय उपमुख्यमंत्री–सह–मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में प्राप्त कुल–248 आवेदनों का निष्पादन दिनांक–31.12.2025 तक करने का निदेश प्राप्त हुआ।

(अनुपालन :– विभागीय शिकायत निवारण कोषांग)

6. **<u>राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली</u>** :– माननीय मंत्री के द्वारा निदेशित किया गया कि राजस्व न्यायालय यथा– प्रमंडलीय आयुक्त के न्यायालय से लेकर अंचलाधिकारियों के न्यायालय में दायर लंबित वादों की सतत निगरानी/समीक्षा विभाग स्तर पर की जाय।

(अनुपालन :– वरीय प्रभारी प्रशाखा–09 एवं आई0टी0 मैनेजर)

7. **<u>नामान्तरण अपील–वाद</u>** :– माननीय मंत्री के द्वारा निदेशित किया गया कि नामान्तरण के वैसे वाद जो अंचलाधिकारी के न्यायालय में अस्वीकृत हो जाते है, वैसे आवेदन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में स्वतः अग्रसारित करने का प्रावधान विभागीय पोर्टल में किया जाय। साथ ही बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 के प्रावधान के आलोक में तय समय–सीमा के अंदर उसका निष्पादन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– वरीय प्रभारी प्रशाखा–09 एवं आई0टी0 मैनेजर)

8. **<u>अतिक्रमण</u>** :– माननीय मंत्री के द्वारा निदेशित किया गया कि राज्य में सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण को रोकने की दिशा में शीघ्र सार्थक कदम उठाया जाय। साथ ही अतिक्रमण होने की स्थिति में जिम्मेवार पदाधिकारियों/कर्मचारियों को चिन्हित करते हुए उन पर अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाय।

(अनुपालन :– वरीय प्रभारी प्रशाखा–07)

9. **<u>फर्जी कागजातों को प्रस्तुत करने वालों पर कार्रवाई</u>** – माननीय मंत्री के द्वारा निदेशित किया गया कि ~~राज्य में कुछ असामाजिक/अपराधिक तत्वों के द्वारा राजस्व के मूल कागजातों के साथ छेड़–छेड़~~ करते हुए फर्जी दस्तावेज तैयार करके राजस्व न्यायालयों को गुमराह कर अनावश्यक रूप से न्यायालीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया जाता हैं। अतः ऐसे असामाजिक/आपराधिक तत्वों को चिन्हित करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के सुसंगत प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन :– वरीय प्रभारी प्रशाखा–09)

(जय सिंह) 11/26
सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–10/सम0 (माननीय मंत्री जिला भ्रमण)–11/2025– 79 (10)/रा0, पटना–15, दिनांक 15/01/26

E-mail

प्रतिलिपि– प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/समाहर्त्ता, पटना/अपर समाहर्त्ता, पटना/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना/सभी अंचल अधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/01/26
(अरूण कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

ज्ञापांक–10/सम0 (माननीय मंत्री जिला भ्रमण)–11/2025– 79 (10)/रा0, पटना–15, दिनांक 15/01/26

प्रतिलिपि–निदेशक, तीनों निदेशालय/विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/01/26
(अरूण कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

ज्ञापांक–10/सम0 (माननीय मंत्री जिला भ्रमण)–11/2025– 79 (10)/रा0, पटना–15, दिनांक 15/01/26

प्रतिलिपि–माननीय उप मुख्यमंत्री–सह मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सभी सचिव के आप्त सचिव/कोषांग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/01/26
(अरूण कुमार सिंह)
विशेष सचिव।